

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर

क्रमांक : प.1(ग)()का / एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ 18/ ५५१८

दिनांक : २६/५/१८

—: आदेश :—

राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत सहायक अग्निशमन अधिकारी के रिक्त पद पर निम्नांकित अभ्यर्थी को उसके नाम के समुख अंकित नगरीय निकाय में नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

क्र. सं.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	पदस्थापित निकाय का नाम
1	31933276054	श्री रेवन्त सिंह	20-08-1985	GEN	बारावाडा

1. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबंधी प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबंधी सम्पूर्ण जांच एवं सत्यापन संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
2. यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यधीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का बयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. सहायक अग्निशमन अधिकारी पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या: एफ.12(2)एफडी/ रूल्स/ 2005 दिनांक 20.04.2006 में वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्स रेस्यूनरेशन देय होगा।
6. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर यदि सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यधीन रहेगा।
7. उपरोक्त पदों को भरे जाने के कारण होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।
8. नगर निकायों को आवंटित चयनित सहायक अग्निशमन अधिकारी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपस्थित होगें जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत सहायक अग्निशमन अधिकारी पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।

9. उक्त नियुक्ति कार्यवाही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्ड पीट में विचाराधीन अपील याचिका के अन्तिम निर्णयाधीन रहेगी।

अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग को भिजवाये।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त

शासन सचिव

दिनांक : २७/५/१८

क्रमांक : प.1(ग)()का / एस.एम.ई./ डी.एल.बी./ १८/५५१९ -५५२७

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज० जयपुर।
3. आयुक्त, नगर परिषद, डीएमडीओ को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति सम्बन्धि कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि उक्त अध्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण सहित अवगत करायें।
4. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज, जयपुर।
5. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व सीएमएआर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
6. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
7. श्री रेवन्त सिंह, सहायक अग्निशमन अधिकारी।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(डॉ वीरेन्द्र सिंह)

उप निदेशक (प्रशासन)